

THE MANNER OF EXECUTION OF SUBSIDY PROGRAMMES, INCLUDING THE AMOUNTS ALLOCATED AND THE DETAILS OF BENEFICIARIES OF SUCH PROGRAMMES

[Section 4(1)(b)(xii)]

ACCOUNTS BRANCH (CENTRAL DISTRICT)

No such subsidy programmes has been executed by the Accounts Branch (HQ).

आपदा प्रबंधन इकाई, केन्द्रीय, जिला न्यायालय तीस हजारी दिल्ली।

आपदा प्रबंधन इकाई, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय, दिल्ली में आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व अग्नि सुरक्षा संबंधित कार्यों से है तथा यह इकाई किसी सब्सिडी प्रोग्राम का निष्पादन नहीं करती है।

हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली

हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली का कार्यक्षेत्र केन्द्रीय जिला, तीस हजारी, जिला न्यायालय, दिल्ली में हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधी कार्यों तक ही सीमित हैं, यह अनुभाग किसी सब्सिडी प्रोग्राम का निष्पादन नहीं करता है।

PURCHASE CELL – CENTRAL DISTRICT

Any such subsidy programmes are not being dealt with the Purchase Cell.
